दीनदयाल उपाध्याय
गोरखपुर विश्वविद्यालय
गोरखपुर–273009

Deen Dayal Upadhyaya
Gorakhpur University,
Gorakhpur-273009

(Accredited A++ by NAAC)

पत्रांक : सम्बद्धता / 2025 / 05 / 6706

दिनांक : 24 / 05 / 2025.

महत्वपूर्ण / समयवद्ध

सेवा में,

प्राचार्य / प्रबन्धक
समस्त महाविद्यालय
सम्बद्ध– दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर–273009

विषय– उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2025–26 के लिए नये महाविद्यालयों / संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों / संस्थाओं में अतिरिक्त विषयों / पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय–सारिणी के संबंध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनदेश संख्या– आई / 972141 / 2025 / 70–2099 / 28 / 2024 दिनांक 23.05.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त निर्देश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2025–26 हेतु निर्धारित उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों / संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों / संस्थानों में स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों / पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए उक्त शासनादेश दिनांक 09.10.2024, 27.12.2024, 17.02.2025, 01.04.2025, 02.04.2025 एवं 07.04.2025 के माध्यम से निर्गत समय–सारिणी में उच्च शिक्षा हित में निम्नवत् संशोधन किया जाता है:–

क्र0	कार्यवाही	निर्धारित समय–सीमा
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव आनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि।	—
2	विश्वविद्यालय में आनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि सम्बन्धी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना।	—
3	अनापत्ति आदेश आनलाइन निर्गत किया जाना।	—
4	आनलाइन अनापत्ति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वार लिए गये निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील करने की अंतिम तिथि।	—
5	शासन में अपील निस्तारित करने की अंतिम तिथि।	—
6	निरीक्षण मण्डल का गठन।	**दिनांक 10 जून, 2025 तक।** (1) अनापत्ति आदेश आनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक **05 जून, 2025** तक निरीक्षण मण्डल का गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा। (2) तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा **10 जून, 2025** तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा।
7	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या प्रस्तुत किया जाना।	**दिनांक 15 जून, 2025 तक।**
8	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता आनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि।	**दिनांक 20 जून, 2025 तक।**
9	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के संबंध में लिये गये निर्णय के विरूद्ध शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि।	**दिनांक 25 जून, 2025 तक।**
10	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि।	**दिनांक 30 जून, 2025 तक।**

3– शासनादेश 09.10.2024, 27.12.2024, 17.02.2025, 01.04.2025, 02.04.2025 एवं 07.04.2025 के माध्यम से निर्गत शेष दिशा–निर्देश यथावत रहेंगे।

अतः समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2025–26 के लिए नये महाविद्यालयों / संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों / संस्थाओं में अतिरिक्त विषयों / पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) के संबंध में संशोधित समय–सारिणी के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

संलग्नक– शासनादेश की छायाप्रति।

कुलसचिव

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1 **जिलाधिकारी, गोरखपुर / देवरिया / कुशीनगर** से अनुरोध है कि शासन द्वारा संशोधित समय–सारिणी से अवगत होने का कष्ट करें।
2 विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
4 समन्वयक, आई0टी0सी0 सेल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट एवं समस्त महाविद्यालयों की लॉगइन में प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
5 प्रभारी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
6 वैय0 सहायक कुलसचिव।

उप–कुलसचिव